न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–संजीव कुमार वर्मा (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
98A /2024	07/05/2024.	15/10/2024

उनवान

01. नीतू यादव पत्नि श्री विरेन्द्र कुमार जाति अहीर निवासी मकान नं. 861, सैक्टर–47, ग्राम झाडसा तहसील व जिला गुरूग्राम (हरि0)

————:: वादीगण

बनाम

01. राज0 सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

————:: प्रतिवादीगण

दावाइश्तकरारहक मय हुक्मइम्तनाईदवामी
अन्तर्गतधारा 88,89,188 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम, 1955
व धारा 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार हैं कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम, 1956 पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नंबर 346/87 रकबा 0.6700है0 वाके ग्राम अलापुर जटट तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा में स्थित है। जो इस वाद मे विवादित आराजी कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा हाल जमाबन्दी व ट्रैस नक्शा संलग्न है। आराजी खसरा नंबर 87 रकबा 1.24है0 वाके ग्राम अलापुर जटट तहसील तिजारा में स्थित रहा है। उक्त आराजी के मध्य मे से एक सरकारी रोड जारी कर दिया गया, जिसका अलग से तितम्बा नम्बर बना दिया गया। उक्त वर्णित आराजी खसरा नंबर 87 रकबा 1.24है0 मे से 0.57है0 भूमि मिन वादीया के पति विरेन्द्र ने जरिये रजि0 बयनामा बाकब्जा, प्रतिफल अदा कर क्रय की थी। मिन वादीया के पति के नाम राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो गया। उसके बाद मिन वादीया के पति ने अपने हिस्से की भूमि का तितम्बा कटवा लिया, जिसके हाल आराजी खसरा नं 345/87 रकबा 0.57है0 वादीया के पति के नाम का अंकन कर दिया तथा उक्त आराजी के मध्य सरकारी रोड जो जारी था, जिसका अलग से नम्बर 330/1 बना दिया गया व उसके बाद हाल आराजी खसरा नंबर 346/87 रकबा 0.67है0 अन्य सहखातेदारान के नाम के नाम दर्ज कर दिया तथा इसी आराजी की 19 ऐयर भूमि हाल आराजी खसरा नंबर 345/87 रकबा 0.57है के साथ दक्षिण दिशा में लगती हुई शेष रह गई। वादीया ने हाल आराजी खसरा नं. 346/87 रकबा 0.67 हैक्टेयर में से 19 ऐयर यानि 98/335 हिस्सा भूमि आराजी के पूर्व मालिको से जरिये रजि. बयनामा बाकब्जा, बाप्रतिफल अदा कर खरीद कर ली। राजस्व रिकार्ड के लटठा नक्षे में उक्त हाल आराजी खसरा नं. 345/87 रकबा 0.57 हैक्टेयर तथा वादीया का खरीदशुदा हिस्सा हाल आराजी खसरा नं. 346/87 रकबा 0.67 हैक्टेयर में से 98/335 हिस्सा साथ साथ लगते हुये है व लाल स्याही से

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

अंकित किया है परन्तु नम्बर अंकित करने से रह गया। जबकि राजस्व रिकार्ड के वर्तमान नक्षे में हाल आराजी खसरा नं. 345/87 रकबा 0.57 हैक्टेयर व उसके मध्य में सरकारी रोड व उसके बाद हाल आराजी खसरा नं. 346/87 रकबा 0.67 हैक्टेयर का सम्पूर्ण रकबा दर्षित कर दिया, जो वर्तमान नक्षा सरासर खिलाफ मौका है। लटठे नक्षे में विभाजित आराजी खसरा नं. 345/87 व 346/87 रकबे में जमाबन्दी से भिन्नता है। लटठे नक्षे में आराजी खसरा नं. 345/87 का रकबा 0.57 है. से अधिक है तथा आराजी खसरा नं. 346/87 का रकबा 0.67 से कम है। वादीया का खरीदषुदा हिस्सा आराजी खसरा नं. 345/87 के साथ लगता हुआ है। गलत वर्तमान नक्षे के अस्तित्व में रहने से वादीया के हितो पर कुठाराघात होता है। कानूनन तौर पर जितना रकबा जमाबन्दी में अंकित होता है, उतना रकबे का अंकन नक्षे में किया जाना चाहियें राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 नियम 60 के अनुसार सभी राजस्व अधिकारीगण ऐसे पटवारियों द्वारा जिन पर उनका नियन्त्रण है, काम में लिये जाने वाले नक्षे के सही होने के उत्तरदायी होगें तथा अपने गिरदावरी के प्रत्येक डोरे के समय पटवारी खेतो का एक एक करके नक्षे से मिलान करेगा और उस पर आवष्यक नाप तोल करने के पष्चात खेत की हदबन्दी में होने वाले सभी परिवर्तनो अन्य रददो बदलो को नोट करेगा तथा यदि किसी ग्राम के नक्षे को दुरूस्त करने के लिए विस्तृत सर्वे कार्यवाही करना आवष्यक हो तो सर्वेक्षण के लिए आवष्यक उपकरणो के निमित और ऐसे मद के वास्ते जो जरूरी हो, जो निरीक्षक के पास अर्जी भेजगा। परन्तु प्रतिवादी सं. 1 ने, अपने अधिनस्थ पटवारी हल्का व कानूनगो से मिलकर जबरन पैमाईष करने पर उतारू है। प्रतिवादी सं. 1 को पैमाईष से पूर्व में अपने लोक सेवक के कर्त्तव्यो में नियम 60 के अनुरूप लटठा नक्षा ट्रैस में शुद्वि करनी चाहिये तथा भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानो की कतई पालना करनी चाहियै। राजस्व रिकार्ड में नक्षे का जमाबन्दी के रकबे के विपरीत अंकन किया हुआ है। जिसे मिन वादीया इसी कदर दुरूस्त कराकर हाल आराजी खसरा नं. 346/87 रकबा 0.6700 हैक्टेयर के 19 ऐयर यानि 98/334 हिस्सा जो वादीया के पति की हाल आराजी खसरा नं. 345/85 रकबा 0.57 हैक्टेयर के साथ सरकारी रोड के दक्षिण दिशा में लगता हुआ है, जो वादीया के पति की हाल आराजी खसरा नं. 345/85 रकबा 0.57 हैक्टेयर से वहां रकबा ज्यादा है व मौके पर वादीया वही काबिज है स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित कराने की अधिकारी है। इष्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिकी प्राप्त करने की अधिकारी है व नक्शा दुरूस्त कराने की अधिकारी है तथा प्रतिवादी सं. 1 को यह आदेशित किया जावें कि वो वादीया का नक्ष दुरूस्त कर 346/87 रकबा 0.6700 हैक्टेयर के 19 ऐयर यानि 98/334 हिस्सा, जो है, जो वादीया के पति की हाल आराजी खसरा नं. 345/85 रकबा 0.57 हैक्टेयर के साथ लगता हुआ है, दर्षित कर नवीन नम्बर अंकित करें। वादीया अपनी खरीदषुदा खातेदारी की उपरोक्त आराजी पर बदस्तूर शान्तिपूर्वक काबिज व दाखिल चली आ रही है तथा मौके पर मिन वादीया का अपनी पति के साथ लगते हुयी भूमि पर वास्तविक कब्जा है। मिन वादीया को कानून कायदे की कोई जानकारी नहीं है, ना ही मिन वादीया को नक्षा में गलत अंकन की पूर्व में कोई जानकारी नहीं है। अब कुछ दिन पूर्व राजस्व कर्मचारीगण व अधिकारीगण सरकारी रास्ते की भूमि की हाल नक्षा के अनुसार पैमाईष करने आये और मिन वादीयाके हिस्से की भूमि की पैमाईष करने लगें जब वादीया ने उन्हें सारे तथ्य बताकर ऐसा करने से मना किया तो उन्होनें तहसीलदार के पास आवेदन देने के लिए कहां। जिस पर वादीया ने सारे दस्तावेजात एकत्रित किये तो गलत नक्षा की जानकारी सामने आई। जिस पर वादीया ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 23.01.2024 को दिया

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

तो उन्होनें नक्षा दुरूस्त करने का आश्वासन दिया। वादीया कई बार तहसीलदार के पास जाकर नक्षा दुरूस्त करने का कहती रही है वे आश्वासन देते रहे और अब दिनांक 30.04. 2024 को नक्षा दुरूस्त करने से मना कर दिया है। वादीया को बेदखल करने की धमकी दी है। जिससे मिन वादीया के विधिक अधिकारो का हनन होता है। मिन वादीया को अपूर्णीय क्षति हो रही और मिन वादीया को दीगर मुकदमेंबाजी में उलझना पडेगा और मिन वादीया अपने हकूको की आराजी से महरूम होना पडेगा। जिसकी पूर्ति किसी भी तरह रूपयो में आंकी जाना सम्भव नहीं होगी। इसलिए मिन वादीया, प्रतिवादी को जरिये हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द कराने की अधिकारी है तथा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती नक्षा मय हु0ई0 दवामी का वाद पेश करना लाजिम आया है। दावा इष्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज है। इसलिए राज्य सरकार को भूमिधारी पैरोकार तहसीलदार को प्रतिवादी की जद में पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। तहसीलदार जो कि विधिक व्यक्ति है और विधिक व्यक्ति के विरूद्व वाद पत्र पेष करने से पूर्व कानूनन अन्तर्गत धारा 80(2) जा0दी0 दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। प्रतिवादी तहसीलदार ने गलत नक्षा को दुरूस्त करने से मना कर दिया है, जिससे वादीया के प्रदत्त काष्तकारी खातेदारी अधिकारो से वंचित होना पड रहा है। इसलिए दावा अरजेन्ट नेचर का हो गया है। जिस कारण तहसीलदार प्रतिवादी को अब नोटिस दिया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए बिना विधिक नोटिस दिये ही दावा हाजा पेष यिाजा रहा है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2)जा0दी0 अलग से पेश किया जा रहा है। अतः वाद वादीया बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें कि हाल आराजी खसरा नं. 346/87 रकबा 0. 6700 हैक्टेयर वाके ग्राम अलापुर जटट तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा में स्थित है। आराजी खसरा नं. 87 रकबा 1.24 हैक्टेयर वाके ग्राम अलापुर जटट तहसील तिजारा में स्थित रहा है। उक्त आराजी के मध्य में से एक सरकारी रोड जारी कर दिया गया, जिसका अलग से तितम्बा नम्बर बना दिया गया। उक्त वर्णित आराजी खसरा नं. 87 रकबा 1.24 हैक्टेयर में से 0.57 है. भूमि मिन वादीया के पति विरेन्द्र ने जरिये रजि0 वयनामा वाकब्जा, प्रतिफल अदा कर क्रय की थी। मिन वादीया के पति के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो गया। उसके बाद मिन वादीया के पति ने अपने हिस्से की भूमि का तितम्बा कटवा लिया, जिसके हाल आराजी खसरा नं. 345/87 रकबा 0.57 है. वादीया के पति के नाम का अंकन कर दिया तथा उक्त आराजी के मध्य सरकारी रोड जो जारी था, जिसका अलग से नम्बर 330/1 बना दिया गया व उसके बाद हाल आराजी खसरा नं. 346/87 रकबा 0.67 हैक्टेयर अन्य सहखातेदारान के नाम के नाम दर्ज कर दिया तथा इसी आराजी की 19 ऐयर भूमि हाल आराजी खसरा नं. 345/87 रकबा 0.57 है. के साथ दक्षिण दिषा में लगती हुई शेष रह गई। मिन वादीया ने हाल आराजी खसरा नं. 346/87 रकबा 0.67 हैक्टेयर में से 19 ऐयर यानि 98/335 हिस्सा भूमि आराजी के पूर्व मालिको से जरिये रजि. वयनामा वाकब्जा, बाप्रतिफल अदा कर खरीद कर ली। राजस्व रिकार्ड के लटठा नक्षे में उक्त हाल आराजी खसरा नं. 345/87 रकबा 0.57 हैक्टेयर तथा वादीया का खरीदषुदा हिस्सा हाल आराजी खसरा नं. 346/87 रकबा 0.67 हैक्टेयर में से 98/335 हिस्सा साथ साथ लगते हुये है व लाल स्याही से अंकित किया है परन्तु नम्बर अंकित करने से रह गया। जबकि राजस्व रिकार्ड के वर्तमान नक्शे में हाल आराजी खसरा नं. 345/87 रकबा 0.57 हैक्टेयर व उसके मध्य में सरकारी रोड व उसके बाद हाल आराजी खसरा नं. 346/87 रकबा 0.67 हैक्टेयर का सम्पूर्ण रकबा दर्षित कर दिया, जो वर्तमान नक्षा सरासर खिलाफ मौका है। लटठे नक्षे में विभाजित आराजी खसरा नं.

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

345/87 व 346/87 रकबे में जमाबन्दी से भिन्नता है। लटठे नक्षे में आराजी खसरा नं. 345/87 का रकबा 0.57 है. से अधिक है तथा आराजी खसरा नं. 346/87 का रकबा 0.67 से कम है। वादीया का खरीदषुदा हिस्सा आराजी खसरा नं. 345/87 के साथ लगता हुआ है। गलत वर्तमान नक्षे के अस्तित्व में रहने से वादीया के हितो पर कुठाराघात होता है। कानूनन तौर पर जितना रकबा जमाबन्दी में अंकित होता है, उतना रकबे का अंकन नक्षे में किया जाना चाहियें राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 नियम 60 के अनुसार सभी राजस्व अधिकारीगण ऐसे पटवारियों द्वारा जिन पर उनका नियन्त्रण है, काम में लिये जाने वाले नक्षे के सही होने के उत्तरदायी होगें तथा अपने गिरदावरी के प्रत्येक डोरे के समय पटवारी खेतो का एक एक करके नक्षे से मिलान करेगा और उस पर आवष्यक नाप तोल करने के पष्चात खेत की हदबन्दी में होने वाले सभी परिवर्तनो अन्य रददो बदलो को नोट करेगा तथा यदि किसी ग्राम के नक्षे को दुरूस्त करने के लिए विस्तृत सर्वे कार्यवाही करना आवष्यक हो तो सर्वेक्षण के लिए आवष्यक उपकरणो के निमित और ऐसे मद के वास्ते जो जरूरी हो, जो निरीक्षक के पास अर्जी भेजगा। परन्तु प्रतिवादी सं. 1 ने, अपने अधिनस्थ पटवारी हल्का व कानूनगो से मिलकर जबरन पैमाईष करने पर उतारू है। प्रतिवादी सं. 1 को पैमाईष से पूर्व में अपने लोक सेवक के कर्त्तव्यो में नियम 60 के अनुरूप लटठा नक्षा ट्रैस में शुद्वि करनी चाहिये तथा भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानो की कतई पालना करनी चाहियै। राजस्व रिकार्ड में नक्षे का जमाबन्दी के रकबे के विपरीत अंकन किया हुआ है। जिसे मिन वादीया इसी कदर दुरूस्त कराकर हाल आराजी खसरा नं. 346/87 रकबा 0.6700 हैक्टेयर के 19 ऐयर यानि 98/334 हिस्सा जो वादीया के पति की हाल आराजी खसरा नं. 345/85 रकबा 0.57 हैक्टेयर के साथ सरकारी रोड के दक्षिण दिषा में लगता हुआ है, जो वादीया के पति की हाल आराजी खसरा नं. 345/85 रकबा 0.57 हैक्टेयर से वहां रकबा ज्यादा है व मौके पर वादीया वही काबिज है स्वयं को खातेदार काष्तकार घोषित कराने की अधिकारी है। इष्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है व नक्षा दुरूस्त कराने की अधिकारी है तथा प्रतिवादी सं. 1 को यह आदेषित किया जावें कि वो वादीया का नक्ष दुरूस्त कर 346/87 रकबा 0.6700 हैक्टेयर के 19 ऐयर यानि 98/334 हिस्सा, जो है, जो वादीया के पति की हाल आराजी खसरा नं. 345/85 रकबा 0.57 हैक्टेयर के साथ लगता हुआ है, दर्षित कर नवीन नम्बर अंकित करें। वादीया अपनी खरीदषुदा खातेदारी की उपरोक्त आराजी पर बदस्तूर शान्तिपूर्वक काबिज व दाखिल चली आ रही है तथा मौके पर मिन वादीया का अपनी पति के साथ लगते हुयी भूमि पर वास्तविक कब्जा है। मिन वादीया को कानून कायदे की कोई जानकारी नहीं है, ना ही मिन वादीया को नक्षा में गलत अंकन की पूर्व में कोई जानकारी नहीं है। अब कुछ दिन पूर्व राजस्व कर्मचारीगण व अधिकारीगण सरकारी रास्ते की भूमि की हाल नक्षा के अनुसार पैमाईष करने आये और मिन वादीयाके हिस्से की भूमि की पैमाईष करने लगें जब वादीया ने उन्हें सारे तथ्य बताकर ऐसा करने से मना किया तो उन्होनें तहसीलदार के पास आवेदन देने के लिए कहां। जिस पर वादीया ने सारे दस्तावेजात एकत्रित किये तो गलत नक्षा की जानकारी सामने आई। जिस पर वादीया ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 23.01.2024 को दिया तो उन्होनें नक्षा दुरूस्त करने का आष्वासन दिया। वादीया कई बार तहसीलदार के पास जाकर नक्षा दुरूस्त करने का कहती रही है वे आष्वासन देते रहे और अब दिनांक 30.04.2024 को नक्षा दुरूस्त करने से मना कर दिया है। वादीया को बेदखल करने की धमकी दी है। जिससे मिन वादीया के विधिक अधिकारो का हनन होता है। मिन वादीया को अपूर्णीय क्षति

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

हो रही और मिन वादीया को दीगर मुकदमेंबाजी में उलझना पडेगा और मिन वादीया अपने हकूको की आराजी से महरूम होना पडेगा। जिसकी पूर्ति किसी भी तरह रूपयो में आंकी जाना सम्भव नहीं होगी। इसलिए मिन वादीया, प्रतिवादी को जरिये हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द कराने की अधिकारी है तथा इष्तकरारहक मय दुरूस्ती नक्षा मय हु0ई0 दवामी का वाद पेष करना लाजिम आया है। हाल आराजी खसरा नं. 346/87 रकबा 0.6700 हैक्टेयर वाके ग्राम अलापुर जटट तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा में स्थित है। आराजी खसरा नं. 87 रकबा 1.24 हैक्टेयर वाके ग्राम अलापुर जटट तहसील तिजारा में स्थित रहा है। उक्त आराजी के मध्य में से एक सरकारी रोड जारी कर दिया गया, जिसका अलग से तितम्बा नम्बर बना दिया गया। उक्त वर्णित आराजी खसरा नं. 87 रकबा 1.24 हैक्टेयर में से 0.57 है. भूमि मिन वादीया के पति विरेन्द्र ने जरिये रजि0 बयनामा बाकब्जा, प्रतिफल अदा कर कय की थी। मिन वादीया के पति के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो गया। उसके बाद मिन वादीया के पति ने अपने हिस्से की भूमि का तितम्बा कटवा लिया, जिसके हाल आराजी खसरा नं. 345/87 रकबा 0.57 है. वादीया के पति के नाम का अंकन कर दिया तथा उक्त आराजी के मध्य सरकारी रोड जो जारी था, जिसका अलग से नम्बर 330/1 बना दिया गया व उसके बाद हाल आराजी खसरा नं. 346/87 रकबा 0.67 हैक्टेयर अन्य सहखातेदारान के नाम के नाम दर्ज कर दिया तथा इसी आराजी की 19 ऐयर भूमि हाल आराजी खसरा नं. 345/87 रकबा 0.57 है. के साथ दक्षिण दिषा में लगती हुई शेष रह गई। मिन वादीया ने हाल आराजी खसरा नं. 346/87 रकबा 0.67 हैक्टेयर में से 19 ऐयर यानि 98/335 हिस्सा भूमि आराजी के पूर्व मालिको से जरिये रजि. बयनामा बाकब्जा, बाप्रतिफल अदा कर खरीद कर ली। राजस्व रिकार्ड के लटठा नक्षे में उक्त हाल आराजी खसरा नं. 345/87 रकबा 0.57 हैक्टेयर तथा वादीया का खरीदषुदा हिस्सा हाल आराजी खसरा नं. 346/87 रकबा 0.67 हैक्टेयर में से 98/335 हिस्सा साथ साथ लगते हुये है व लाल स्याही से अंकित किया है परन्तु नम्बर अंकित करने से रह गया। जबकि राजस्व रिकार्ड के वर्तमान नक्षे में हाल आराजी खसरा नं. 345/87 रकबा 0.57 हैक्टेयर व उसके मध्य में सरकारी रोड व उसके बाद हाल आराजी खसरा नं. 346/87 रकबा 0.67 हैक्टेयर का सम्पूर्ण रकबा दर्षित कर दिया, जो वर्तमान नक्षा सरासर खिलाफ मौका है। लटठे नक्षे में विभाजित आराजी खसरा नं. 345/87 व 346/87 रकबे में जमाबन्दी से भिन्नता है। लटठे नक्षे में आराजी खसरा नं. 345/87 का रकबा 0.57 है. से अधिक है तथा आराजी खसरा नं. 346/87 का रकबा 0.67 से कम है। वादीया का खरीदषुदा हिस्सा आराजी खसरा नं. 345/87 के साथ लगता हुआ है। गलत वर्तमान नक्शे के अस्तित्व में रहने से वादीया के हितो पर कुठाराघात होता है। कानूनन तौर पर जितना रकबा जमाबन्दी में अंकित होता है, उतना रकबे का अंकन नक्षे में किया जाना चाहियें राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 नियम 60 के अनुसार सभी राजस्व अधिकारीगण ऐसे पटवारियों द्वारा जिन पर उनका नियन्त्रण है, काम में लिये जाने वाले नक्षे के सही होने के उत्तरदायी होगें तथा अपने गिरदावरी के प्रत्येक डोरे के समय पटवारी खेतो का एक एक करके नक्षे से मिलान करेगा और उस पर आवष्यक नाप तोल करने के पष्चात खेत की हदबन्दी में होने वाले सभी परिवर्तनो अन्य रददो बदलो को नोट करेगा तथा यदि किसी ग्राम के नक्षे को दुरूस्त करने के लिए विस्तृत सर्वे कार्यवाही करना आवष्यक हो तो सर्वेक्षण के लिए आवष्यक उपकरणो के निमित और ऐसे मद के वास्ते जो जरूरी हो, जो निरीक्षक के पास अर्जी भेजगा। परन्तु प्रतिवादी सं. 1 ने, अपने अधिनस्थ पटवारी हल्का व कानूनगो से मिलकर जबरन पैमाईष करने पर उतारू है। प्रतिवादी सं. 1 को

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

पैमाईश से पूर्व मे अपने लोक सेवक के कर्त्तव्यो में निगम 60 के अनुरूप लटठा नक्शा ट्रैस में त्रुटि करनी चाहिये तथा भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानो की कताई पालना करनी चाहिये। राजस्व रिकार्ड में नक्षे का जमाबन्दी के रकबे के विपरीत अंकन किया हुआ है। जिसे मिन वादीया इसी कवर दुरूस्त कराकर हाल आराजी खसरा नं. 346/87 रकबा 0.6700 हैक्टेयर के 19 ऐयर यानि 98/334 हिस्सा जो वादीया के पति की हाल आराजी खसरा नं 345/85 रकबा 0.57 हैक्टेयर के साथ सरकारी रोड के दक्षिण दिशा में लगता हुआ है, जो वादीया के पति की हाल आराजी खसरा नं. 345/85 रकबा 0.57 हैक्टेयर से वहा रकबा ज्यादा है व मौके पर वादीया वही काबिज है स्वयं को खातेदार काष्तकार घोषित कराने की अधिकारी है। इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्दाज की डिकी प्राप्त करने की अधिकारी है व नक्शा दुरूस्त कराने की अधिकारी है तथा प्रतिवादी सं. 1 को यह आदेशित किया जावें कि वो वादीया का नक्शा दुरूस्त कर 346/87 रकबा 0.6700 हैक्टेयर के 19 ऐयर यानि 98/334 हिस्सा, जो है, जो वादीया के पति की हाल आराजी खसरा नं. 345/85 रकबा 0.57 हैक्टेयर के साथ लगता हुआ है, दर्षित कर नवीन नम्बर अंकित करें। डिकी इजाय हुक्मईम्तनाई दवामी इस आशय की पारित कर प्रतिवादी को पाबन्द फरमाया जावें कि वो हाल आराजी खसरा नं. 346/87 रकबा 0.6700 हैक्टेयर वाके ग्राम अलापुर जटट तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा में स्थित है। प्रतिवादी, मिन वादीयाकी आराजी में बिना किसी हक व अधिकार के जबरन कब्जा ना करें, ना ही आराजी में कोई मजाहमत व मदाखलत उत्पन्न करें, ना ही वादीया की कब्जा काष्त में कोई व्यवधान उत्पन्न करें, ना ही वादीया को बेदखल करें, ना ही गलत नक्षे की आड में विधि विरूद्व तरीके से आराजी में सडक की भूमि में मिलावें, ना ही कोई निर्माण कार्य करें तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड समन तलब किया व जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01/तहसीलदार, तिजारा ने अपने जवाब पत्रांक/राजस्व/2024/2610 दिनांक 12.06.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण मे पटवारी हल्का, थौस से रिकॉर्ड व मौके की रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट अनुसार वाके ग्राम अलापुरजटट जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078के अनुसार खसरा नंबर 346/87 रकबा 0.67है0 नीतू यादव पत्नि विरेन्द्र कुमार का हिस्सा 98/335 दर्ज रिकार्ड है। परन्तु मौके पर प्रार्थीया का कब्जा 345/87रकबा 0.57है0 मे है। मौके पर खसरा नबर 345/87 व 346/87 सडक के खसरा नम्बर 300/01 से विभाजित है खसरा नम्बर 345/87 सडक दक्षिण दिशा तथा खसरा नम्बर 346/87 सडक के उतर दिशा मे स्थित है। खसरा नम्बर 346/87 का रकबा जमाबन्दी अनुसार 0.67है0 तथा नक्शा लठ्ठे मे रकबा बरारी करने पर रकबा 0.48है0 तथा मौके पर भी रकबा करीब 2 बीघा है। जिस पर नीतू यादव के अलावा अन्य काश्तकार काबिज है। खसरा नम्बर 345/87 का रकबा जमाबन्दी अनुसार 0.57है0 तथा नक्शा लठ्ठे मे रकबा बरारी करने पर रकबा 3 बीघा आता है तथा मौके पर उक्त खसरे का रकबा 3 बीघा है। जो जमाबन्दी मे दर्ज काश्तकार के हिस्से से अधिक है अधिक रकबे पर प्रार्थी नीतू यादव का कब्जा है। मौके पर प्रार्थी नीतू यादव का हिस्सा खसरा नम्बर 346/8 मे न होकर 345/87 की तरफ है अतः खसरा नम्बर 346/87 रकबा 0.67है0 मे से नीतू यादव का रकबा 0.19है0 कम किया जाकर खसरा नम्बर 345/87 की पूर्वी दिशा में 0.19है0 दर्ज किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

(7)

वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप मे शपथ पत्र श्रीमति नीतू यादव करीब 55 साल पत्नि श्री विरेन्द्र कुमार जाति अहीर निवासी मकान नं. 681, सैक्टर–47, ग्राम झाडसा तहसील व जिला गुरूग्राम (हरियाणा) एंव श्री सुले खॉ उम्र करीब 41 साल पुत्र श्री जलेब खॉ जाति मेव निवासी ग्राम अलापुर जटट तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे नकल हाल जमाबंदी(प्रदर्श 01), तहसीलदार प्रा0पत्र(प्रदर्श 02), पटवारी जॉच रिपोर्ट (प्रदर्श 03),नकल इंतकाल संख्या (प्रदर्श 04), नकल इंतकाल संख्या 448 ग्राम अलापुर जटट (प्रदर्श 05), नकल नक्शा ट्रैस(प्रदर्श 06), नकल तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 12.06.24 (प्रदर्श 07) पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस मनन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तोवजात के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है। वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, तिजारा की अनुशंषा दिनांक 12.06.2024 अनुसार आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 346/87 रकबा 0.67है0 मे से नीतू यादव का हिस्सा हजफ किया जाकर, आराजी खसरा नंबर 345/87 की पूर्वी दिशा मे वादी के काबिज हिस्से पर वादी को रकबा 0.19है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे मे अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(संजीव कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–संजीव कुमार वर्मा (आर0ए0एस0)

तारीख दायर 07/05/2024. तारीख फैसला 15/10/2024

मुकदमा नम्बर 98A-/2024

उनवान

01 नीतू यादव पत्नि श्री विरेन्द्र कुमार जाति अहीर निवासी मकान नं. 861, सैक्टर–47, ग्राम झाडसा तहसील व जिला गुरूग्राम (हरि0)

–––––:: वादीगण

बनाम

01. राज0 सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

–––––––:: प्रतिवादीगण

दावाइश्तकरारहक मय हुक्मइम्तनाईदवामी
अन्तर्गतधारा 88,89,188 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम, 1955
व धारा 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम, 1956

–:: पर्चा डिक्री ::–

हाल आराजी खसरा नंबर 346/87 रकबा 0.67है0 मे से नीतू यादव का हिस्सा जफ किया जाकर, आराजी खसरा नंबर 345/87 की पूर्वी दिशा मे वादी के काबिज हिस्से पर वादी को कबा 0.19है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे मे अमल रामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश सुनाया गया।

(संजीव कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–ति...)